न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/46/2024	2024/121	16.05.2024	30.03.2026

1. अंग्रेज उर्फ रहीम खॉ पुत्र श्री सिताब खॉ जाति मेव निवासी ग्राम पडीराल तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर राजस्थान।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यान्वयन ईकाई सोहना (हरियाणा)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितः—

01. श्री जनार्दन शर्मा —वकील प्रार्थी
02. श्री मोहनसिंह चौधरी —वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) (1) (2) एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवंम प्रारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा राशि मय ब्याज प्रदान किये जाने बाबत पेश किया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब प्राप्त किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 23/814 रकबा 0.23 हैक्टेयर वाके ग्राम पडीराल तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं, जो भूमि अवाप्त की गई हैं। उक्त भूमि पनियाला बडौदा मेव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 148 बी में अधिग्रहण की गई हैं। उक्त आराजी का प्रार्थी अभिलिखित खातेदार हैं। उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3—ए की उपधारा—1 के अधीन भारत सरकार के सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना संख्या—4162 (अ) दिनांक 08—10—2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं। जिसका समाचार पत्रों में दिनांक 30—10—2021 एवं दिनांक 01—03—2022 को प्रकाशन किया गया। केन्द्र सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिर्पोट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा—3 डी के अर्न्तगत अधिसूचना संख्या— का. आ. 3930 (अ) दिनांक 22.08.2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की गई। उक्त भूमि का अवार्ड भी दिनांक 07.01.2023 को जारी हो चुका हैं। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त आराजी को सडक से दूर दर्शाया गया हैं, जबकि वास्तविकता में आराजी डाबर रोड पर स्थित हैं। जो भूमि सडक से दूर हैं, उसकी डी एल सी रेट कम हैं, जबकि जो भूमि सडक के पास हैं, उसकी डी एल सी रेट अधिक हैं। चूँकि प्रार्थी की भूमि डाबर सडक के पास होने के कारण डी एल सी रेट अधिक हैं, किन्तु भूमि अधिग्रहण की सूचना के अनुसार उक्त आराजी सडक से दूर दर्शाये जाने के कारण डी एल सी रेट कम दर्शायी गयी हैं। जिससे प्रार्थी के मुआवजे में काफी अन्तर आ रहा हैं, तथा मुआवजा राशि अधिक बनती हैं। उक्त आराजी खसरा जिस डाबर रोड पर स्थित हैं, वह काफी पुराना हैं, और राजस्व नक्शे में काफी चौडा रोड हैं, तथा मौके पर कई गांवों को जोडता हैं। उक्त भूमि की डी एल सी श्रेणी मौके के अनुसार सही प्रकाशित नही की गई हैं, तथा मौके के अनुसार अगर डी एल सी श्रेणी निर्धारित की जाती हैं, तो प्रार्थी की

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

मुआवजा राशि की गणना अधिक होती हैं। उक्त उजरदारी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को होने के कारण आपके यहाँ उजरदारी प्रस्तुत की जा रही हैं।

अतः उजरदारी पेश कर निवेदन हैं, श्रीमान से निवेदन हैं, कि उक्त भूमि की डी एल सी श्रेणी रोड के पास करने की कृपा करें। जिसरो कि प्रार्थी को उसकी भूमि की वास्तविक मुआवजा राशि प्राप्त हो सकें। तथा प्रकरण आर्बिट्रेशन अधिकारी को वास्तविक मुआवजा राशि तय करने के लिए भिजवाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित जवाब/बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत की है–

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है जिसकों कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जन साधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राजमार्ग संरेखण (जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148–बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला, जिला जयपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे (एन.एच.–148एन) के राज्यमार्ग–14 के जंक्शन गांव सीतल जिला अलवर तक निर्माण (चौडीकरण/पेब्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3900 (अ) दिनांक 21.09.2021 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर को राक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। यह कि यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राजमार्ग संरेखण (जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148–बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला, जिला जयपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे (एनएच–148एन) के राज्यमार्ग–14 के जंक्शन गांव सीतल जिला अलवर तक), पनियाला–अलवर–बरोदामेव राष्ट्रीय राजमार्ग (इंटर कॉरिडोर रूट), के निर्माण (चौडीकरण/पेब्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, जो कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में कि.मी. 3.150 से कि.मी. 86.513 तक के लिए अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा –3A की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना संख्या का. आ. 4162 (अ) दिनांक 08.10.2021 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 08.10.2021 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में दिनाक 23.10.2021 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3C सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3A के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3A के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3A अधिसूचना का सार उक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के उपरान्त ग्राम– पडीसल, तहसील अलवर की अर्जित भूमि के हिबद्ध व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा– 3C के अन्तर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गयी, जिनकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2021 एवं 19.05.2022 को विधिवत सुनवाई की जाकर आपत्तियों को अननुज्ञात (Reject) किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3D में भूमि अधिग्रहण की प्रकिया तथा अधिग्रहन की घोषणा के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राजमार्ग संरेखण (जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148–बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला, जिला जयपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे (एनएच–148एन) के राज्यमार्ग–14 के जंक्शन गांव सीतल जिला अलवर तक), पनियाला–अलवर–बरोदामेव राष्ट्रीय राजमार्ग (इंटर कॉरिडोर रूट), के निर्माण (चौडीकरण/पेब्ड

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, जो कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में कि.मी. 3.150 से कि.मी. 86. 513 तक के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा–3C के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 3920 (अ) दिनांक 22.08.2022 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 22.08.2022 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.09.2022 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात सगस्त अधिग्रहित निम्न भूमिः–

सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
23/814	निजी	चाही सोयम	0.138

वाके ग्राम पडीसल तहसील अलवर जिला अलवर सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहत हो चुकी है। शेष अस्वीकार एवं गलत है। यह प्रार्थना पत्र की मद सांख्या 3 राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित है प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करें। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील की गई है, गलत है व स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना सांख्या का.आ. 4162 (अ) दिनांक 08.10.2021 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 08.10.2021 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में दिनाक 23.10.2021 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील की गई है, गलत है व स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 3920 (अ) दिनांक 22.08.2022 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 22.08.2022 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.09.2022 के अंकों में प्रकाशित किया गया। प्रार्थना पत्र की मद सांख्या 6 में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(G) में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G की उपधारा–1 व 2 के अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा धारा–3D की अधिसूचना की लोक सूचना (Public Notice) जो कि दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व इण्डियन एक्सप्रेस दोनों में दिनांक 12.09.2022 के अंकों में प्रकाशित की गयी। उक्त लोक सूचना (Public Notice) द्वारा सम्बन्धित रागी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा–3G (3) व (4) के अन्तर्गत स्वंय या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। जिसके अन्तर्गत ग्राम–पडीसल की अर्जित भूमि से सम्बन्धित भू–स्वामियों द्वारा दावे प्रस्तुत किया गया। जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई कर निस्तारण किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड पारित कर दिया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय आदेश क्रमांक 30 दिनांक 07.01.2023 को पारीत कर दिया गया। स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7, 8, 9 10 व 11 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील की गई है, गलत है व स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3–क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विकय–पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया। जो कि निम्नानुसार हैः–

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

क्र. स	ग्राम का नाम	भूमि की किस्म	अधिकतम दर के 50 प्रतिशत विक्रय पत्रों की औसत दर रू. (प्रति है0)		डी.एल.सी. दर (प्रति हैक्टेयर) 2021–2022			
					रोड के निकट		रोड से दूर	
					सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1	पडीसल	कृषि	3,43,363		19,19,700/–	18,82,278/–	16,72,326/–	14,92,317/–
अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु चयनित दरें				कृषि	19,19,700/–	18,82,278/–	16,72,326/–	14,92,317/–

उपरोक्तानुसार अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु धारा 3A की दिनांक की प्रभावी खरारा नम्बर 23/814 सिंचित भूमि की रोड से दूर की चयनित बाजार दर रूपये 16,72,326/– प्रति हैक्टेयर के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि की रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–26 की उपधारा–2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणांक कारक के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना सं० प.1 (3) राज. 6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 30) की धारा 26 की उपधारा (2) सपठित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (3) राज. 6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम् शहरी क्षेत्र से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह निम्न अनुसार होगाः–

शहरी क्षेत्र से दूरी	गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे
0–10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

उपरोक्तानुसार ग्रामों की अधिनिर्णित भूमि के लिये गुणांक निम्न प्रकार निर्धारित की गयीः–

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	निकटतम नगरपालिका	निकटतम नगरपालिका से दूरी (कि.मी.)	लागू गुणांक
अलवर	लक्ष्मणगढ	पडीसल	नगर परिषद अलवर	14	1.50

इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकटतम नगर परिषद अलवर से दूरी (कि.मी.) 14 किलोमीटर मानते हुए 10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक के लिए 1.50 का गुणक लगाया लगाया गया है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध जो गुणक निर्धारित किया गया है एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर सगान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium), एवं RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानोंनुसार धारा 3–A के सगावार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 कानूनी है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A, B, C, D, E, F,

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

G एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकॉर्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थी कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अप्रार्थी संख्या 2 परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रोहना की ओर से उत्तर प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक आपत्तियाँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड रिकार्ड एवं मौके की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर राष्ट्रीय राजगार्ग अधिनियग, 1956 की धारा–3A, B, C, D, E, F, G एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है वह विधि के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से लिखित जवाब/बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत की हैः–

1. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
2. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
3. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
4. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
5. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
6. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
7. उप पंजीयक, अलवर–प्रथम का पत्रांक 484 दिनांक 02.12.2021 से प्राप्त डी.एल.आर. की सूचनानुसार ही अधिनिर्णय जारी किया गया है। इस बिन्दु के शेष अभिकथन सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है।
8. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
9. बिन्दु 7 के अनुसार
10. बिन्दु 7 के अनुसार
11. बिन्दु 7 के अनुसार
12. कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, माननीय ऑबिट्रेटर से संबंधित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील उभयपक्ष की लिखित/मौखिक बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भूमि वाके ग्राम पडीसल तहसील अलवर जिला अलवर के आराजी खसरा नंबर 23/814 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम राड़क से दूर भूमि पनियाला बडौदा मेव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 148 बी राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 के तहत अधिग्रहण की गई है। अवाप्ताधीन भूमि एनएच एक्ट 1956 की धारा 3–ए की उपधारा–1 के तहत प्रकाशन दिनांक 08.10.2021 को किया गया एवं 3डी अधिसूचना संख्या 3930 (अ) दिनांक 22.08.2022 को प्रकाशन की गई। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा आराजी खसरा नंबर 23/814 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम सड़क से दूर डीएलसी दर गुणांक के आधार पर मुआवजा राशि मय सोलेसियम व ब्याज का अवॉर्ड पारित किया गया। प्रार्थी उक्त मुआवजा राशि से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुनः मूल्य निर्धारण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनानुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 23/814 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम रोड से दूर का मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। जबकि उक्त दोनों खसरा नं. राजस्व रिकार्ड नक्शे में 60 फुट चौडा रोड दर्शाया हुआ है। परन्तु सक्षम प्राधिकारी भूमि आवप्ति अधिकारी द्वारा सड़क से दूर डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा राशि की गणना की जाकर प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति पहुंचायी गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर सड़क के पास डीएलसी दर से गणना कराई जाकर मुआवजा राशि दिलवायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के द्वारा पारित

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अवॉर्ड अधिनिर्णय–आदेश क्रमांक 30 दिनांक 07.01.2023 का अवलोकन करने से स्पष्ट हैं कि विवादित आराजी 23/814 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम के मुआवजा राशि का निर्धारण उपपंजीयक अलवर प्रथम के पत्रांक 484 दिनांक 02.12.2021 से प्राप्त डीएलसी दर के अनुसार एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जिसमें उक्त आराजी राड़क से दूर दर्शायी गई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ही सक्षम प्राधिकारी भूमि आवप्ति एवं अति० जिला कलक्टर प्रथम अलवर के द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 की द्वारा 3जी के तहत आवाप्ताशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उपपंजीयक से प्राप्त डीलएसी दर के आधार पर की गई हैं। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि आवाप्त अधिकारी द्वारा तत्समय धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक पर प्रचलित बाजार की डीएलसी दर रूपये 16,72,326/– प्रति हैक्टैयर एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा निर्धारित कर सोलेसियम 100 प्रतिशत एवं RFCTLARR ACT 2013 की द्वारा 69 के तहत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाकर दिनांक 07.01.2023 को अवॉर्ड पारित किया गया। उक्त पारित अवॉर्ड में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिट्रेशन सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत पुनः मूल्य निर्धारण किये जाने बाबत् खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर राजस्थान